न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 16/2022

अनवान : —

1. दयानन्द तेतरवाल पुत्र राजेराम तेतरवाल जाति जाट निवासी किराडा छोटा त0 भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री महेश वंसल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 13.02.2023

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रोही मौजा किराड़ा छोटा के खाता सं0 84/95 के खसरा सं0 115, 154, की कुल 19.9570है0 में प्रार्थी के 1/7 हिस्सा में प्रार्थी का नाम दयाराम पुत्र राजेराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम दयाराम पुत्र राजेराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम दयानन्द तेतरवाल पुत्र राजेराम तेतरवाल है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सही नाम दयानन्द तेतरवाल पुत्र राजेराम तेतरवाल ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम गलत राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्दि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया। साक्ष्यवादी में वादी के साक्ष्य करवाये गये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को उक्त वाद भूमि विरासतन अपने पिता से प्राप्त हुई है। प्रार्थी का नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय उक्त खाते में दयाराम पुत्र राजेराम दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेज में नाम दयाराम तेतरवाल पुत्र राजेराम तेतरवाल है। अतः प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात यथा पहचान पत्र , आधार कार्ड,

जन आधार कार्ड, पारिवारिक राशन कार्ड ,प्रमाण पत्र सरपंच आदि में सही नाम दयानन्द तेतरवाल पुत्र राजेराम तेतरवाल दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा रोही मौजा किराड़ा छोटा के खाता सं0 84/95 के खसरा सं0 115, 154, की कुल 19.9570है0 में प्रार्थी के 1/7 हिस्सा में प्रार्थी का नाम दयाराम पुत्र राजेराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में **प्रार्थी के नाम दयाराम पुत्र राजेराम जगह प्रार्थी का सही नाम दयानन्द तेतरवाल पुत्र राजेराम तेतरवाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।** इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर तहसीलदार भादरा रिकार्ड दुरूस्त करें।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़